

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
लम्बविधित विषय पर अंदर पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सावधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4376

दिनांक: 09/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ लाइंस, साइंस, ग्वालियर (0751-2405696) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.पी.टी. पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये भावनीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर/(संयोजक) (0751-2442828)
- (2) डॉ. आशीष श्रीवास्तव, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.डी. ठोणपे, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुसेध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अँकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष द्वारा प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेदब है कि वे उक्त निरीक्षण समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें; निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देशी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे; तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय महाविद्यालय का प्रावाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे; निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मार्केटिंग महाविद्यालय द्वारा देखा जावेगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


कुलसचिव


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बास से ही किया जावे न
कि किसी जब्त पदांगकारी के जाम से।
उम्मेकित विषय पर अदि पूर्ण ने पत्र
व्यवहार किया ही तो पत्र क्रमांक प्रथम दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुधिष्ठित हो।



ग्रन्थ : गृनीचरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ ५५४०

दिनांक: १२/६/२०१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ लाइंक आइंसेस, ग्वालियर (0751-2405696) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. (इंडिस्ट्रियल माइक्रोबायलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी) एम.एस.-सी. (बायोकैमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायलॉजी), बी.पी.टी., डी.एम.एल.टी. पाठ्यक्रम कक्षा. पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय आधीनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत बिभागीय सिरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)

(2) प्रो. आर.जे. राव, आचार्य, प्राणिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(3) डॉ. पी.एस. दोणपे, आचार्य, जी.आर. मेडीकल कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्षा निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अन्यायित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेश्य तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की जिम्मेदारियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से जिवेदन है कि वे उक्त विधीनित तथ्य में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गब्ब का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः बिस्तर हो जावेगी और उक्त पुक्त निरीक्षण समिति गब्ब हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही समिति का पुरुर्वान्वयन किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देगा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय उपायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधीनित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्पुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगता पर संस्कार कुलसंचित जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे जि कि उनकी अन्य प्राप्तिकारी के नाम हो।
उपलिखित विषेष पर यह एक पूर्ण भौतिक व्यवस्था हुआ हो तो पर क्रमांक एवं विवाक अवश्य लिखा जावे जिससे सुधिष्ठ हो।



फ़ाक्स : ०९९१०५५३२४६३
दूरभाष : ०९९१-०७५१ २४४२८०१
(कार्यालय)
०९९१०५५३२४६३ (फ़ैक्टरी)
फैक्टरी : (०९९१-०७५१-२३४१७६८)
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सन्ख्यालेख/2012/ ४८७२

दिनांक : ११/०५/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिवियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्वयात् कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विर्यावृत्तार की आईएमआर कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेस विभाग ग्वालियर को लख २०११-१२ के लिये प्रस्तावित/संबालित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष, (इंडस्ट्रियल कोर्सिस्ट्री अति.) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सन्ख्यालेख लिखन शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु लीनल साप्टवेयर क्रांति किये जावे।
- प्रत्येक कम्प्यूटर प्रिंटर एवं अन्य उपकरणों पर संत्या का नाम लिखा जावे।
- कम्प्यूटर एवं उपकरणों से सन्दर्भित स्टॉक रजिस्टर को विद्युत बनाया जावे।

आवेदानवार
३ मार्च २०१२
कुलसंचित

प्रति,

- प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेस विभाग ग्वालियर
- आयुक्त, गवाहप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- सेनेट अधिकारी संवालक, गवाहप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-संबल संभाग, गोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसंचित (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसंचित (सन्ख्यालेख)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दर्शक, एवं व्यवहार के समैं ही नियम जावे न
कि डिट्री अव चाहिए ही न हो।
उत्तमता नियम पर छोड़ दूर्ज में उत्तम
व्यवहार हो तो यह कृपा कर उत्तम नियम
नहीं नियम जावे नियम से कोई दूर्ज हो।



ग्राम : रुजीवरसीटी
 दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
 (व्यालिय)
 2442462 (नियास)
 फँक्स : (0091-0751-2341768
 E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
 Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 राजस्थान

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/20112/5013

दिनांक 07/06/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय आ०८८नेयम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की
 बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के विर्णवानुसार बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ
 लाइफ साइंसेस, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.पी.टी. पाठ्यक्रम के
 लिये अस्थाई सम्बद्धता दिग्गज शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-


One Assistant professor deficiency (under 28-17)

आदेशानुसार

 कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार, बी.आई.ए.पी.आर. कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेस, ग्वालियर
2. अवर सचिव मध्यप्रदेश विकित्सा शिक्षा विभाग बहलभ भवन भोपल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्रासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त राजालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (पर्टीका/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा बोर्ड क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचबार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 उपकुलसचिव (सम्बद्धता)